

न्यायालय 34 तहसीलदार तहसील विधान विभाग मुंबई

गुणनं०

किरम गुण

रजु दिनांक

निर्णय दिनांक

43/19

धारा 91

18.7.19

06.08.19

अन्वयन सरकार वनाग वनवारी पुत्र गंगवू जाति गुर्जर नि० कुळानिया तहसील मुहाना विधान मुंबई

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपरिथत। मागला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट परतुत की है कि माग कुळानिया की सजकीय भूमि 00गु० नाला स०न० 234 रकवा 0.50 किरम 00गु० नाला में से 0.05 हे० भूमि पर अतिकमी वनवारी पुत्र गंगवू जाति गुर्जर कुळानिया तहसील मुहाना ने अवैध रूप से वाजरा काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को सजरथान गु० सजरथ अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपरिथत हुआ। पाठपर पेश किया गया जो पत्रावली शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का महत्ता से मन्व किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविन नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उपर अतिकमी को सजरथान गु० सजरथ अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। च नैर वहरा रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुद्ध भूमि के लगान 0.35 की 50 गुणा जुर्माना राशि 18/- रु वतौर सारित वासण किये जाते हैं।

तहसील सजरथ लेखाकार/गु०310नि०/पटवारी हल्का को वारते जमा कायगी/वेदखली/वसुली/ कर राशि सज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। गु० 310नि० को सजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वारतविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील तागिल दाखिल दफतर हो तथा नगर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को सुले न्यायालय सुनाया गया।

२

नायब तहसीलदार

२२० १८

J. G. Bhatnagar